समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 02-02-2015 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

2-अनुपस्थित पदाधिकारी

अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1-आई0टी0 प्रबंधक, मधेपुरा, 2-जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा, 3- जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा, 4- श्रम अधीक्षक, मधेपुरा, 5- सहायक नियंत्रक, माप-तौल, 6-कार्यपालक अभि0, सिंचाई प्र0, त्रिवेणीगंज, 7- वरीय परि0अभि0, बिहार राज्य पुल नि0 निगम, 8-वन प्रमण्डल पदा0, सहरसा, 9-वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा, 10-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा, 11-प्रभारी जिला कार्यक्रम समन्वयक, 12-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, शंकरपुर, 13-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मुरलीगंज, 14-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

3-कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। साथ ही उपायुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को धन्यवाद दिया गया कि उनके द्वारा नियमानुसार वाहनों की चेकिंग /जुर्माना वसूली कर राजस्व की बढ़ोतरी किया गया है, जो अच्छी बात है। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4-एम0जे0सी0/ सी0डब्लू0जे0सी0

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 का एक मामला बिहारीगंज का है, जिसमें एक सेवानिवृत अभियंता का सेवांत लाभ समय पर भुगतान नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधितों को निदेशित किया गया कि यदि उनके विभाग /कार्यालय अन्तर्गत किसी कर्मी का किसी भी प्रकार का देय भुगतान लंबित है, तो शीघ्र कार्रवाई करें अन्यथा विलम्ब होने की सारी जवाबदेही संबंधितों को होगी।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री मांगेन प्र0 यादव, कार्यालय परिचारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा द्वारा दिनांक 02-02-2015 को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि वे अनुमण्डल कार्यालय, मधेपुरा में पदस्थापित तथा जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा में प्रतिनियुक्त हैं। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

1-दिनांक 01-01-2009 से 06-01-2009 तक के कार्य अवधि का वेतन बाकी है।

2-01 जनवरी, 2010 से अप्रैल, 2010 तक चार माह का 8 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बाकी है।

3-जनवरी, 2010 से 2013 तक का साईकिल भत्ता का एरियर बाकी है।

4-छठ्ा वेतनमान का अभी तक एक भी किश्त नहीं दिया गया है।

5-वर्षो पूर्व से ए0सी0पी0 का एरियर बाकी है।

➢ उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त कार्य हेतु श्री भगवान कुमार टूडू, स्थापना सहायक, अनुमण्डल कार्यालय, मधेपुरा से जब भी मिल कर उक्त कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया, तब-तब संबंधित सहायक द्वारा आना-कानी एवं टाल-मटौल किया गया तथा उनके द्वारा आज तक कार्य नहीं किया गया है, साथ ही उनके द्वारा कार्य कराने हेतु अवैध राशि की मांग की जा रही है।

➢ अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध है कि संबंधित सहायक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जाए कि किस परिस्थिति में श्री मांगेन प्र0 यादव, कार्यालय परिचारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा कर्मी का कार्य /देय भुगतान लंबित रखा गया है तथा इसके लिए दोषी कर्मियों के विरूद्ध क्यों नहीं कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि दिनांक 14-02-2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि निर्धारित है, अतः उसी दिन समाहरणालय परिसर में सभी प्रखण्डों /अनुमण्डल /जिला के लिए अलग-अलग कॉउन्टर /टेबुल लगाया जाए, जिसमें मधेपुरा जिला के अंचल /प्रखंड /अनुमण्डल एवं जिला के सभी कर्मी अपना-अपना शिकायत यथा- वेतन भुगतान लंबित रहने, मंहगाई भत्ता नहीं मिलने, छठा वेतन का लाभ नहीं मिलने, ए0सी0पी0 एवं विभिन्न देय लाभ आदि नहीं मिलने संबंधी शिकायतों का निपटारा उसी तिथि को नियमानुसार किया जायेगा तथा जनता दरबार लगेगा। अतः सभी अंचल अधिकारी /प्रखंड विकास पदाधिकारी /अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उक्त तिथि को शत-प्रतिशत कर्मियों को उनके बकाये देय लाभ का निष्पादन किया जा सके।

(अनुपालन-अनुमण्डल पदा0,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /सभी प्रखंड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी)

5-विधि

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक मामला विधि विभाग का है, जो जमीन के लिए स्टाम्प ख़रीदने से संबंधित है तथा संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया गया है। बताया गया कि यदि स्टाम्प खरीद कर स्टाम्प वापस किया जाता है, तो कुछ राशि काटकर शेष राशि वापस करने का प्रावधान है, किन्तु वर्ष 2007 से अब तक कुल-53 मामलें लंबित है, किन्तु बाद के वर्ष का भुगतान कर दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं

होता है। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ऐसे जितने भी मामला लंबित है, उसके निष्पादन हेतु अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

6–कोषागार

बैठक में कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विभिन्न विभागों में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त कुल आवंटन में से निकासी करने के बाद प्लान एवं ननप्लान दिनांक 31–01–2015 तक की आवंटन की अवशेष राशि के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

Sl. No.	DDO Code	DDO Designation	Amount (Rs.)	
			Non Plan	Plan
1.	AGR-013	SDO AGRICULTURE, MADHEPURA	34,894	19,29,798
2.	AGR-017	DIST. AGRICULTURE OFFICER MDP	15,65,930	1,53,48,097
3.	ANI-009	DIST. DAIRY DEV. OFFICER, DP	75,414	0
4.	ANI-010	DIST. ANIMAL HUS. OFFICER MDP	5,77,126	30,75,794
5.	ANI-012	DIST. FISHRIES OFFICER MDP	4,43,303	0
6.	BUI-001	EX- ENG. BUILDING DIV. MDP	68,851	0
7.	COO-004	DIST. CO-OPERATIVE OFFICER, MDP	1,25,994	0
8.	DIS-002	DIST. NDC MDP	18,51,292	4,58,540
9.	ELC-001	DEPUTY ELECTION OFFICER MDP	4,4,43,742	0
10.	HEA-020	PRINCIPAL GOVT. MEDICAL COLLEGE MDP	16,13,956	0
11.	HEA-029	ACMO, MADHEPURA	70,600	89,650
12.	HEA-036	CS CUM CMO MDP	78,17,899	0
13.	HEA-040	SUPRINTENDENT CUM CS SADAR HOSPITAL MDP	7,04,399	0
14.	HOM-001	SP MADHEPURA	82,56,718	0
15.	HOM-002	SUPT. MANDAL KARA, MDP	12,07,583	0
16.	HOM-006	SDO, MADHEPURA	2,66,620	0
17.	HOM-008	DIST. COMMANDENT HOME GUARD MDP	76,70,637	0
18.	HRD288	DIST. PROGRAMME OFFICER (ESTB) MDP	4,56,17,143	0
19.	HRD-289	DIST. PROGRAMME OFFICER (ACCOUNTS AND PLAN)	0	65,68,579
20.	INF-001	DIST. PUBLIC RELATION OFFICER MADHEPURA	36,790	23,26,653
21.	LAB-001	PRINCIPAL ITI MADHEPURA	0	2,92,459
22.	LAW-005	SEC. DIST. LEGAL SERVICE AUTHORITY, MDP	8,38,960	0
23.	LAW-013	JUDGE I/C MADHEPURA	11,60,082	0
24.	MII-004	EX. ENG. IRR. DIV. MURLIGANJ	4,84,291	0
25.	PER-010	SDO UDAKISHUNGANJ MADHEPURA	4,15,370	1,90,000
26.	REG-001	EXCISE SUPT. MADHEPURA	9,42,057	0
27.	REG-003	DIST EMPLOYMENT EX. OFFICER	1,23,475	79,526
28.	ROA-002	EXE. ENG. NH/DIV, MDP	1,87,572	0
29.	WEL-010	DISTRICT PROGRAM OFFICER MDP	0	64,94,366
30.	WEL-020	DIST. WELFARE OFFICER MADHEPURA	56,55,604	1,25,56,600

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी भी बहुत से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास कनटीजेन्सी मद की राशि शेष है। बताया गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा मदवार विस्तृत विवरणी मधेपुरा जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है, किन्तु इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बार-बार अनुरोध के बाद भी निकासी नहीं किया जाना दुखद बात है। आप जानते हैं कि माह मार्च में इसके निकासी पर रोक लग सकती है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित राशि नियमानुसार दिनांक 15-02-2015 तक निकासी कर लिया जाए अथवा विभाग को प्रत्यार्पण किया जाए। दिनांक 15-02-2015 के बाद वैसे ही राशि की निकासी की जाएगी, जिसका आवंटन विभाग द्वारा उक्त तिथि के बाद दिया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि यदि उनके कार्यालय अन्तर्गत राशि की आवश्यकता हो, तो अपने-अपने विभाग के निकासी योग्य राशि का नियमानुसार निकासी कर लें तथा यदि राशि की आवश्यकता नहीं हो तो अविलम्ब उसे प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई की जाए, जिससे कि अंतिम समय में कोषागार में अनावश्यक भीड़ नहीं इकट्ठा हो तथा अंतिम समय में केवल उसी राशि की ही निकासी की जायेगी, जिसका आवंटन अंतिम समय में प्राप्त हुआ हो।

जिलाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि योजना मद के जितने भी बिल पास करना है, उनका अभी से नियमानुसार पास करावें। क्योंकि प्रायः अंतिम समय में संवेदक अत्यधिक राशि का बिल लेकर कोषागार में पास कराने हेतु आते हैं, जो उचित नहीं है। इसके साथ-साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपने स्तर से सूचित किया जाए कि उनके परियोजना अन्तर्गत जो भी राशि का व्यय हुआ है, उसे नियमानुसार अभी से ही निकासी कर लें, क्योंकि अंतिम समय में काफी भीड़ हो जाती है और कठिनाई होती है।

बैठक में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक सप्ताह कोषागार की स्थलीय निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिस-जिस विभाग का टी0ए0/ डी0ए0 लंबित है, उसका भी नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त)

7-राजस्व

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक- 05-02-2015 को सहरसा में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित बैठक आयोजित की गयी है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि बैठक की तैयारी हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के पत्रांक-116, दिनांक-30-01-2015 द्वारा बताया गया कि वक्फ अधिनियम, 1995 धारा 18 के अनुसार जिला में औकाफ समिति गठित करने के संबंध में

निदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में नियमानुसार औकाफ समिति के गठन की कार्रवाई पूर्ण किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा)

8–सिंहेश्वर मेला /महोत्सव

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 17-02-2015 से सिंहेश्वर मेला प्रारंभ होने जा रहा है, जो एक माह तक चलेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया जाता है कि सिंहेश्वर मेला की तैयारी हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार दिनांक 08, 09, 10 मार्च, 2015 को ''सिंहेश्वर महोत्सव'' आयोजित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की रूप–रेखा तथा भाग लेने वाले कलाकारों से सम्पर्क स्थापित करने एवं आवश्यक तैयारी हेतु श्री खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला में विभिन्न खेल / /छविगृह /होटल एवं खेल तमाशे वाले द्वारा अस्थाई रूप से बनाये गये मकान का भी जांच कर भवन सुदृढ़ता प्रमाण–पत्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा, विद्युत कनेक्शन का विद्युत प्रमाण–पत्र, कार्यपालक अभियंता, विद्युत एवं अग्नि निरोध होने का अग्निशामक प्रमाण–पत्र, अग्निशामक पदाधिकारी द्वारा जांच कर तत्क्षण निर्गत किया जाएगा।

(अनुपालन–श्री खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदा0, मधेपुरा /अनु0पदा0,मधेपुरा)

9–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1903, दिनांक–18-09-2014 द्वारा डी0एफ0आई0डी0 संपोषित SWASTH कार्यक्रम में FA Plan Year 5 & 6 (2014-16) अन्तर्गत पेयजल समस्या ग्रसित /अभावग्रस्त क्षेत्रों (Water Stressed Areas) में सौर ऊर्जा चालित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जाति (महादलित) /अनुसूचित जनजाति /कमजोर वर्ग बाहुल्य बसावटों की पहचान हेतु निदेशित किया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा एवं कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि पत्र में वर्णित निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को यह भी निदेशित किया गया कि राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के उपरान्त एक संक्षिप्त राईट–अप अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा)

10–कल्याण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन के ज्ञापांक–1123, दिनांक–24-01-2015 द्वारा मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना हेतु मूल पारिवारिक सूची के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा)

11–सामान्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–180, दिनांक–06-01-2015 द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी महादलित समुदाय के टोलों /गांवों में झण्डोत्तोलन एवं विशेष समारोह आयोजित करने के संबंध में निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि गणतंत्र दिवस पर विभिन्न टोलों में झंडोत्तोलन करने वाले पदाधिकारियों से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं, जिसमें झंडोत्तोलन कार्यक्रम का फोटोग्राफ भी शामिल किया जाए।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा)

12–स्थापना

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव –सह– मिशन निदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–60, दिनांक–21-01-2015 द्वारा लोक संवेदना अभियान के अन्तर्गत सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने का निदेश दिया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही सभी विभागीय प्रमुख अपने कार्यालय कर्मियों को लोक संवेदना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा)

13–श्रम संसाधन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–147, दिनांक–15-01-2015 द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित जिला स्तरीय कार्यबल के पुनर्गठन करने संबंधी निदेश दिया गया है। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि विभागीय निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–श्रम अधीक्षक, मधेपुरा)

14-विकास

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक-122, दिनांक-30-01-2015 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण हेतु विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त कर अविलम्ब विभाग को भेजा जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-कार्य0अभि0,पी0एच0ई0डी0/प्रभारी पदा0,विकास/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

15-राष्ट्रीय लोक अदालत/देय लाभ संबंधी शिविर

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, डी0एल0एस0ए0, मधेपुरा के पत्रांक-21-38, दिनांक-30-01-2015 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 14-02-2015 को 10:00 बजे पूर्वा0 से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, फलस्वरूप राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन योग्य वाद के संबंध में आवश्यक तैयारी कर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन संकलित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि समाहरणालय परिसर में दिनांक 14-02-2015 को प्रखंडवार टेबुल /काउन्टर स्थापित किया जाए, जिसमें प्रखंड /अंचल /अनुमण्डल के विभिन्न कर्मियों, जिन्हें ए0सी0पी0 /पेंशन आदि विभिन्न देय लाभ की राशि मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उन कर्मियों के समस्याओं का निदान किया जाएगा। अतः जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उक्त मामलों के निष्पादन हेतु सारी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस हेतु मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी,विधि/ जिला स्थापना उप समाहर्त्ता/जिला जनसम्पर्क पदा0, मधेपुरा)

16-जनशिकायत

➢ समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि सभी कार्यालयों में जनशिकायत के मामले अत्यधिक लंबित है, जिससे संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनशिकायत के बहुत से मामलें विभिन्न विभागों में अभी भी लंबित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जांच हेतु लंबित जनशिकायतों पर एक सप्ताह के अन्दर जनशिकायत के मामले का निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। *(अनुपालन- सभी संबंधित पदाधिकारी)*

17- GPF Missing Contribution Report

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा **GPF Missing Contribution Report** से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

Sl. No.	Total No. of DDO's	No. of DDO's Forwarded (Missing)	Remark
1	100	100	82 rest DDO's to be forwarded (Reminder sent to all DDO)

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा **(HOM001)**	55	51	4
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा के अधीन (उच्च एवं मध्य विद्यालय, के कुल-11)	46	33	13
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा **(ANI010)**	1	0	1
4	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा **(RWD003)**	3	0	3
5	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज **(RWD002)**	4	1	3
6	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर, जिला-सुपौल **(WAT002)**	3	1	2

सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। यह भी बताया गया कि इस संबंध में निदेशित किये जाने के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो खेद का विषय है।

(अनुपालन- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

18-राईट-अप

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा एवं सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित किया गया है, जो अच्छी बात है, परन्तु अभी भी बहुत सारे पदाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित नहीं किया जाता है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त राईट-अप अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या-क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

19–सम्पत्ति का ब्यौरा

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने का निदेश दिया गया है। यह भी बताया गया कि उक्त वांछित सूचना विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2015 तक हरहाल में जमा करा दिया जाना है तथा माह फरवरी, 2015 के वेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाना है कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दिया गया है, इसके पश्चात् ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाएगी। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ***(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी)***

20–अन्यान्य

- बैठक में उपस्थित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बायोमैट्रिक मशीन खराब हो गया है, जिसके कारण मशीन से उपस्थिति बनाने में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया कि अतिरिक्त बायोमैट्रिक के क्रय हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा यह भी बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहेश्वर में सी0एस0सी0 का निर्माण भवन प्रमण्डल द्वारा किया जाना है, जिसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त भवन के निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
- प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय अन्तर्गत एक मशीन क्रय करने का विभाग द्वारा निदेश प्राप्त है, किन्तु भवदीय के निदेशानुसार जिला गोपनीय शाखा में एक खराब पड़ी फोटो स्टेट मशीन की मरम्मति कराकर उसी से अभिलेखागार में उपयोग किया जाना है, फलस्वरूप पुनः मशीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसी क्रम में जानकारी दी गई कि उक्त फोटो स्टेट मशीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा की है, फलस्वरूप बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि वे उक्त फोटो स्टेट मशीन का नियमानुसार मरम्मति कराकर जिला अभिलेखागार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
- श्री विनय कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत एक कम्प्युटर ऑपरेटर (सेट सहित) विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके बैठने हेतु एक कमरे की आवश्यकता है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि एन0आई0सी0 में ही उक्त कम्प्युटर ऑपरेटर को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Khalid 04/02/15 C.operator

04/02/15	04/02/15	04/02/15
निजी सहायक	**प्रभारी पदाधिकारी**	**जिलाधिकारी**
जिला गोपनीय शाखा,	**जिला गोपनीय शाखा,**	**मधेपुरा।**
मधेपुरा।	**मधेपुरा**	

ज्ञापांक...336...../गो0, मधेपुरा, दिनांक.04/02/2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/15   04/02/15   04/02/15

निजी सहायक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा	जिलाधिकारी मधेपुरा।

Khalid 04/02/15 C. operator